भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3286
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

3286. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किशनगंज और पूर्णिया जिलों सहित बिहार में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में ऐसी इकाइयों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(ग) इन नई इकाइयों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बिहार में स्थानीय किसानों और उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या पहल की गई है/की जा रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालांकि, यह बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों सहित देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए चालू है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज की बर्बादी कम हो, प्रसंस्करण स्तर बढ़े और अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो।

बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में इन योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तर हेतु "बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3286 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क. पीएमकेएसवाई घटक योजना के अंतर्गत बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला एवं राज्य	अनुमोदन का दिनांक	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)
घटक योजना- खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना					
1	मेसर्स अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	किशनगंज	05.01.2023	172.77	5.00
घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना					
2	मेसर्स एबीजेड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	किशनगंज	27.07.2019	43.34	10.00

ख. पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आधारित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

क्र.सं.	ज़िला	ऋण से जुड़ी सब्सिडी के साथ अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या	प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	
			एसएचजी सदस्यों को अनुमोदित किया गया	स्वीकृत एसएचजी राशि (लाख रुपये में)
1	किशनगंज	309	577	216
2	पूर्णिया	531	243	91

ग. बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत प्रतिबद्ध निवेश वाली परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लक्ष्य खंड	ज़िला	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)
1	मेसर्स अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	किशनगंज	182.85

*****